

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर**  
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, 22 गोदाम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांक : एस्टे/एम/एफ.10(पदो.)आरएमएस(टी)/डीएलबी/2022/20658 दिनांक : 04/10/2022

**आदेश**

राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियम, 1963 के नियम 25 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.09.2022 द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर निम्नांकित सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 03 में अंकित पद व कॉलम संख्या 04 में अंकित वर्ष की रिक्तियों में पदोन्नत करते हुए अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक) के पद के निर्धारित वेतनमान में नियुक्त कर कॉलम संख्या 05 में अंकित तिथि से पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	पदोन्नति पद	वर्ष जिसकी रिक्तियों में पदोन्नति दी गई	दिनांक जिससे पदोन्नति दी गई	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.	श्री कलीम असरफ	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)	2022-23	01.04.2022	
02.	श्री रवीन्द्र कुमार सैनी	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)	2022-23	01.04.2022	
03.	श्री लखन लाल बैरवा	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)	2022-23	01.04.2022	
04.	श्री गोपाल राम मूण्ड	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)	2022-23	01.04.2022	
05.	श्री मुकेश कुमार	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)	2022-23	01.04.2022	
06.	श्री मनोज कुमार बैरवा	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)	2022-23	01.04.2022	
07.	सुश्री नेहा गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)	2022-23	01.04.2022	
08.	श्री बलराम मीणा	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)	2022-23	01.04.2022	

उपरोक्त अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक) को पदोन्नति का लाभ दिनांक 01.04.2022 से परिकल्पित (Notional) आधार पर देय होगा तथा वास्तविक वित्तीय लाभ पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा एवं पूर्व का कोई ऐरियर देय नहीं होगा। उपरोक्त अभियन्तागण उक्तानुसार पदोन्नति पद पर अपने वर्तमान पदस्थापित निकाय पर ही कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ.10(पदो.)/आरएमएस(टी)/डीएलबी/2022/20659-85 दिनांक: 04/10/2022

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका।
05. संबंधित श्री .....अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक) को पालनार्थ।
06. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक